सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 544 राँची, गुरूवार, 29 अक्टूबर, 2020 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

अधिसूचना

22 अक्टूबर, 2020

सं०-1/(निदे०अभि०)-(नि०-मुंसरीम)-16/2015-293/नि०--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एत्द द्वारा राज्य के सभी बंदोबस्त कार्यालयों में कार्यरत मुंसरीम सेवा संवर्ग के लिए गठित झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1- (1) यह नियमावली झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी ।

(2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

2- झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2017, जिससे इसके पश्चात् मूल नियमावली कही जायेगी, के नियम-4(क) i में अंकित शब्द समूह ''आयोग को अधिसूचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी ।'' के स्थान पर निम्न शब्द समूह प्रतिस्थापित

किया जायेगा :- **"आयोग को अधियाचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी ।"**

3- मूल नियमावली के नियम 4 (क) ii को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

"मुंसरीम के पदो पर भर्ती निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, झारखण्ड, रांची द्वारा अधियाचित रिक्ति के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त मेधा सूची के अनुसार आरक्षण का पालन करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

कमल किशोर सोन

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 544 -- 50